

क्रमांक : प. 4(9)वित्त/साविलेनि/2023

जयपुर, दिनांक : 14.03.2023

## आदेश

विषय : सार्वजनिक निर्माण विभाग के डी-कैटेगरी के संवेदकों को रख-रखाव मद में दिनांक 31.03.2023 तक GWMS सॉफ्टवेयर की ऑनलाईन प्रक्रिया से शिथिलन दिये जाने के संबंध में।

वर्तमान में GWMS सॉफ्टवेयर में आ रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के रख-रखाव मद में डी-कैटेगरी के छोटे संवेदकों के 15.00 लाख रुपये तक के कार्यों को GWMS Software में जियो टैगिंग (GIS), ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश जारी करने तथा ऑनलाईन माप-पुस्तिका भरे जाने से दिनांक 31.03.2023 तक के लिए शिथिलन प्रदान किया जाता है। जिसमें उपर्युक्त रख-रखाव में कराए जाने वाले कार्यों हेतु ऑफलाइन जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों हेतु वित्त (बजट) विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार AFS मॉड्यूल में प्रपत्र 14ब में इन्द्राज एवं PWF&AR की एस.ओ.पी. के अनुसार सक्षम स्तर से Project approval ID जनरेट कर वॉम मॉड्यूल पर बिलों के भुगतान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में Fetch कर बिलों का भुगतान किया जावेगा।

यह शिथिलन एक बार देय होगा।



(मनीष माथुर)

संयुक्त शासन सचिव,  
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (G&SSA/A&E) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट)।
5. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (व्यय) राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि GWMS सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं से DoIT को अवगत कराने एवं DoIT से GWMS में आ रही तकनीकी समस्याओं निराकरण करावें।
8. मुख्य अभियंता (NH & PPP) सार्वजनिक निर्माण विभाग।
9. मुख्य अभियंता (QC) सार्वजनिक निर्माण विभाग।
10. वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
11. श्री वाई. के. जैन तकनीकी निदेशक, DoIT को भेजकर लेख है कि GWMS साफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करावें।
12. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, राजस्थान।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी सचिवालय जयपुर।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी

(PWF&AR -93/2023)